ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

10 December 2024

भारतीय सितारा कछुआ

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय सितारा कछुआ दुनिया में सर्वाधिक तस्करी किए जाने वाले कछुओं में से एक बन चुका है और इसका संरक्षण एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इन कछुओं के दो पृथक आनुवंशिक समूह हैं- एक उत्तर भारत से और दूसरा दक्षिण भारत से।

- इसका तात्पर्य यह है कि अवैध व्यापार से बचाए गए कछुओं को केवल निकटवर्ती जंगलों में छोड़ना एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इससे दोनों समूहों के मिलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो उनके अस्तित्व और भविष्य के प्रजनन को गंभीर खतरे में डाल सकती हैं।

संरक्षण रणनीतियाँ:

- **आनुवंशिक संरक्षण और स्मार्ट रिलीज:** विविधता को संरक्षित करने और स्वस्थ आबादी को बनाए रखने के लिए, जब्त किए गए कछुओं को केवल उनके आनुवंशिक मूल से मेल खाने वाले क्षेत्रों में ही छोड़ा जाना चाहिए।
- **आवास संरक्षण:** प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना, आवास गलियारों में सुधार करना तथा टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **वन्यजीव तस्करी से निपटना:** पालतू जानवर के रूप में कछुओं की मांग को कम करने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करना, सीमा नियंत्रण में सुधार करना, और जन जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।
- **बंदी प्रजनन और पुनर्वास:** विकृतियों से बचने के लिए प्रजनन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिहाई (त्मसमेंम) से पहले बंदी कछुओं का पुनर्वास हो जाए।
- **अनुसंधान और निगरानी:** संरक्षण रणनीतियों को सूचित करने और जंगली आबादी की निगरानी करने के लिए कछुओं की आनुवंशिकी, व्यवहार और पारिस्थितिकी पर निरंतर अनुसंधान का संचालन किया जाना चाहिए।

भारतीय स्टार कछुए के बारे में:

- भारतीय सितारा कछुआ (Geochelone elegans) भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों और झाड़ीदार जंगलों में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रजाति है। अपने स्टार-पैटर्न वाले खोल से पहचानी जाने वाली यह प्रजाति मानसून के मौसम वाले आवासों में पनपती है और अर्ध-शुष्क परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है।
- **संरक्षण की स्थिति**
  - » IUCN स्थिति: संवेदनशील
  - » CITES: परिशिष्ट I
  - » वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची IV
- **प्राकृतिक वास:**
  - » भारतीय सितारा कछुए विभिन्न प्रकार के वातावरणों में रहते हैं, जिनमें अर्ध-रेगिस्तानी घास के मैदान, नम पर्णपाती वन, रेत के टीले, झाड़ीदार जंगल, और यहां तक कि मानव द्वारा बदले गए आवास भी शामिल हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, लेकिन आवास के नुकसान और क्षरण के कारण वे कमजोर हो जाते हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- मध्यम आकार का सिर
- हुकदार चोंच
- छोटे, मोटे पैर, जिनमें अलग-अलग आकार और आकृति के ट्यूबरकल होते हैं।
- नर की पूंछ लंबी होती है, जबकि मादा की पूंछ छोटी और नुकीली होती है।

व्यवहार का पैटर्न:

- **दैनिक:** मुख्यत: सुबह और दोपहर में सक्रिय
- **संवेदनशील:** वे बार-बार संभाले जाने को बर्दाश्त नहीं करते हैं और यदि उन्हें बार-बार संभाला जाए तो वे तनावग्रस्त या बीमार हो सकते हैं।

आहार:

- **शाकाहारी:** इनके आहार में मुख्य रूप से ताजी पत्तेदार सब्जियाँ और घास शामिल होती हैं, जोकि इनके स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा)

सन्दर्भ: हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

अधिनियम (Essential Services Maintenance Act - ESMA), 1966 लागू किया है, जिसके तहत राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर आगामी छह माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।

- यह कदम संभावित हड़ताल की आशंका को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। राज्य सरकार का यह निर्णय कुंभ जैसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों और अन्य महत्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रमों के दौरान निर्बाध सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लिया गया है।

आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) के बारे में:

- आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA), 1966 एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, ऊर्जा, और अन्य आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना है।
- यह अधिनियम सरकार को राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या आपात स्थितियों के दौरान इन सेवाओं में हड़तालों को रोकने का अधिकार प्रदान करता है। ईएसएमए का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि समाज के लिए आवश्यक सेवाओं में कोई व्यवधान न हो।

ईएसएमए के मुख्य प्रावधान:

- उत्तर प्रदेश सरकार ने छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) की धारा 3(1) का उपयोग किया है। यह प्रावधान राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होता है।

अवैध हड़तालों पर दंड:

- अधिनियम के तहत, अवैध हड़तालों में भाग लेने वाले या उन्हें उकसाने वाले कर्मचारियों को सख्त सजा दी जा सकती है, जिसमें शामिल हैं:
  - » बिना वारंट गिरफ्तारी।
  - » एक वर्ष तक का कारावास।
  - » 1,000 तक का जुर्माना, या दोनों।

निर्णय का आधार:

- उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी ESMA लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य में कुंभ मेला जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन निकट हैं।
- यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इसके लिए परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सरकारी समन्वय आवश्यक होता है। हड़तालों पर प्रतिबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:
  - » सभी आवश्यक सेवाएँ निर्बाध रूप से जारी रहें।
  - » सार्वजनिक व्यवस्था और जनसुविधा प्रभावित न हो।

निर्णय के निहितार्थ:

- यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन यह सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को भी प्रतिबंधित करता है।
- इस अवधि के दौरान, कर्मचारियों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने पड़ सकते हैं, जैसे कि याचिकाओं के माध्यम से या अधिकारियों के साथ सीधे संवाद के माध्यम से। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह विरोध करने के लिए श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करता है।

कुंभ के बारे में मेला:

- कुंभ मेला एक प्रमुख हिंदू तीर्थयात्रा है, जोकि भारत में चार पवित्र नदी तटों 'प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन' पर हर 12 वर्ष में आयोजित होती है। इस महत्त्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र नदियों में अनुष्ठानिक डुबकी लगाते हैं।
- कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि इसमें सामुदायिक गतिविधियाँ, धार्मिक चर्चाएँ और सांस्कृतिक मनोरंजन भी शामिल होते हैं। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के प्रयासों से मानी जाती है।
- यह मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है और इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है।

निकोबारी आबादी पर अध्ययन

संदर्भ: हाल ही में सीएसआईआर-कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा निकोबार द्वीपसमूह की निकोबारी आबादी पर एक नया आनुवंशिक अध्ययन किया गया है।

- अध्ययन से पता चलता है कि निकोबार द्वीपसमूह की निकोबारी आबादी का दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की ऑस्ट्रोएशियाटिक आबादी के साथ महत्वपूर्ण पैतृक संबंध है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- **आनुवंशिक संबंध:** अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि निकोबारी समुदाय अन्य ऑस्ट्रोएशियाटिक-भाषी आबादी, विशेष रूप से मुख्य भूमि दक्षिण-पूर्व एशिया के श्हतिन मालश समुदाय के साथ महत्वपूर्ण आनुवंशिक समानताएँ साझा करता है।
- **बसावट का समय:** इस अध्ययन ने निकोबार द्वीपसमूह में निकोबारी लोगों के बसने की समयरेखा को पुन: परिभाषित किया है। शोध से

यह स्पष्ट होता है कि उनके पूर्वज लगभग 5,000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में बसे थे, जोकि पहले मानी गई अवधि (लगभग 11,700 वर्ष पहले, होलोसीन काल के दौरान) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समकालीन है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि निकोबारी लोग द्वीपसमूह में बाद में बसे, किंतु उनके पूर्वजों का दक्षिण-पूर्व एशियाई आबादी से गहरा आनुवंशिक संबंध बना हुआ था।

अध्ययन के निहितार्थ:

- **प्रवासन पैटर्न:** यह अध्ययन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्राचीन आबादी के प्रवासन और वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह क्षेत्र में निकोबारी और अन्य ऑस्ट्रोएशियाटिक-भाषी आबादी के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को दर्शाता है।
- **साझे आनुवंशिक क्षेत्र:** निकोबारी और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई भाषाई समूहों के बीच सामान्य आनुवंशिक समानताएं इस क्षेत्र में मानव प्रवास और बसावट के जटिल इतिहास को उजागर करती हैं।
- **साझा विरासत:** अध्ययन इस मान्यता को चुनौती देता है कि निकोबारी एक अलग-थलग और स्वदेशी समूह हैं। इसके बजाय, अध्ययन यह दर्शाता है कि वे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ साझा किए गए बड़े आनुवंशिक और भाषाई समूह का हिस्सा हैं।

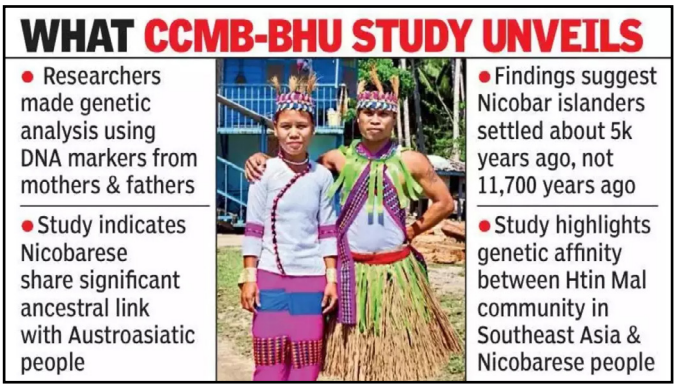

अंडमान और निकोबार जनजातियाँ:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह छह स्वदेशी जनजातियों का निवास है: अंडमानी, ओंगेस, जरावा, सेंटिनली, निकोबारी और शोम्पेन। इनमें से, अंडमानी, जरावा, ओंगेस और सेंटिनली को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि निकोबारी को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये जनजातियाँ दो अलग-अलग नस्लीय समूहों से संबंधित हैं:
  - **नेग्रिटो समूह:** अंडमानी, जरावा, ओंगेस और सेंटिनली, जोकि अंडमान द्वीप समूह में रहते हैं।
  - **मंगोलॉयड समूह:** निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले निकोबारी और शोम्पेन।

निकोबारी जनसंख्या और स्थान

- **जनसंख्या:** निकोबारी समुदाय की जनसंख्या लगभग 25,000 है।
- **स्थान:** वे निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, जोकि पूर्वी हिंद महासागर में अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। निकोबार द्वीपसमूह में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार सहित सात बड़े द्वीप शामिल हैं, साथ ही कई छोटे द्वीप भी हैं।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन निकोबारी लोगों के प्रवास, इतिहास और उनके व्यापक दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधित संबंधों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। इन आनुवंशिक संबंधों का पता लगाने से, हम इस क्षेत्र में मानव बस्तियों के जटिल इतिहास में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और निकोबारी लोगों को इस व्यापक आनुवंशिक और भाषाई निरंतरता के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है।

चक्रवात फेंगल

सन्दर्भ: हाल ही में एक निम्न से मध्यम तीव्रता का चक्रवात फेंगल, पुडुचेरी के समीप तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचा। हवा की गति 75-95 किमी/घंटा होने के बावजूद, इस चक्रवात ने गंभीर प्रभाव डाले। इसके परिणामस्वरूप कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई, व्यापक पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ और विशेष रूप से तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र को भारी क्षति का सामना करना पड़ा।

चक्रवात श्रेणियाँ और फेंगल का वर्गीकरण:

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) चक्रवातों को हवा की गति के आधार पर निम्न दबाव वाले क्षेत्रों (<31 किमी/घंटा) से लेकर सुपर चक्रवातों (>222 किमी/घंटा) तक वर्गीकृत करता है।
- 75-95 किमी/घंटा की हवा की गति के साथ, फेंगल को चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया है। यह कम तीव्रता वाला चक्रवात था, जिसे आमतौर पर कम विनाशकारी माना जाता है।
- गंभीर चक्रवातों जैसे चक्रवात फैलिन (2013) और चक्रवात अम्फान (2020) में हवा की गति 200 किमी/घंटा से अधिक थी, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ।

चक्रवात का निर्माण:

- चक्रवात का निर्माण समुद्र के ऊष्मायुक्त जल द्वारा होता है, जोकि उसे गर्मी और नमी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में समुद्र का जल वाष्पित होकर आर्द्र वायु में बदल जाता है।
- यह आर्द्र वायु ऊपर की दिशा में उठने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप सतह पर कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस कम दबाव क्षेत्र की वजह से आसपास के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से हवा आकर्षित होती है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव (कोरिओलिस प्रभाव) के कारण, यह हवा अपने मार्ग में चक्कर लगाते हुए निम्न दबाव केंद्र के चारों ओर घूमने लगती है, जिससे चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनती है। जैसे-जैसे यह वायु प्रणाली तेजी से घूर्णन करती है, इसके केंद्र में एक शांत क्षेत्र (आँख) उत्पन्न होता है, जहाँ वायु दबाव अत्यंत न्यूनतम होता है। चक्रवात की तीव्रता तब तक बनी रहती है, जब तक यह गर्म और आर्द्र हवा की आपूर्ति से जुड़ा रहता है।

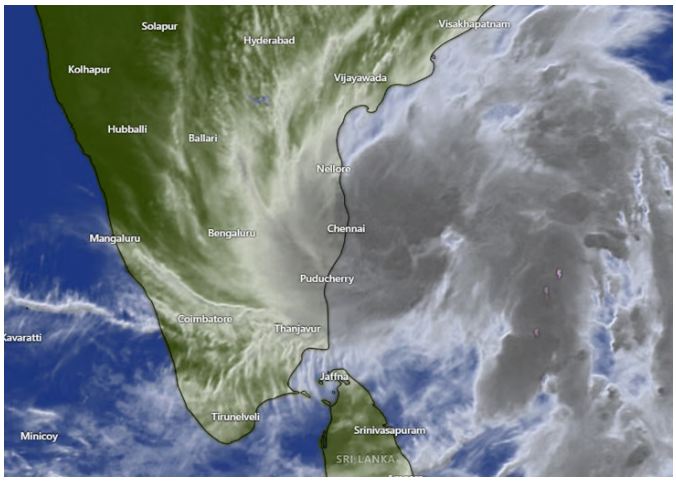

फेंगल की असामान्य गतिविधि और प्रभाव:

- चक्रवात फेंगल की तीव्रता अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन इसकी धीमी गति ने इसके प्रभावों को काफी हद तक बढ़ा दिया। कई तूफानों के विपरीत, जो जमीन पर आने के बाद कमजोर हो जाते हैं, फेंगल ने असामान्य व्यवहार प्रदर्शित किया:
  - » **धीमी गति:** फेंगल की गति समुद्र में 6 किमी/घंटा से भी कम हो गई थी और पुडुचेरी के निकट पहुंचने के बाद 12 घंटे तक स्थिर रहा।
  - » **लंबे समय तक उपस्थिति:** प्रभावित क्षेत्र में इसकी लंबी उपस्थिति के कारण असाधारण रूप से भारी वर्षा और बाढ़ आई।

निरंतर तीव्रता और प्रभाव:

- सामान्य तौर पर, चक्रवात जमीन पर पहुंचने के बाद घर्षण और इमारतों, पेड़ों जैसी बाधाओं के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। हालांकि, फेंगल ने अपनी चक्रवाती तीव्रता को बरकरार रखा।
- इसकी धीमी गति ने फेंगल को लंबे समय तक चक्रवाती तीव्रता बनाए रखने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप:
  - » भारी वर्षा
  - » तेज हवाएं
  - » व्यापक बाढ़

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की भूमिका:

- आईएमडी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख मौसम विज्ञान एजेंसी है। यह चक्रवातों का पूर्वानुमान लगाता है, चेतावनियाँ जारी करता है और आपदा तैयारियों में सहायता करता है।

चक्रवातों का नामकरण:

- उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों का नामकरण क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों (भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, आदि) द्वारा एक घूर्णन सूची से किया जाता है। नामकरण आपदा प्रतिक्रिया के दौरान स्पष्ट संचार में मदद करता है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

आईएनएस तुशील

- हाल ही में भारतीय नौसेना ने रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में मल्टी-रोल स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को शामिल किया। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो भारत-रूस रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास हैं।
- आईएनएस तुशील तलवार श्रेणी के फ्रिगेट का सातवां जहाज है और भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए तीसरे बैच का पहला जहाज है। यंतर शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह जहाज व्यापक समुद्री परीक्षणों से गुजरा है, जिसमें हथियार फायरिंग और 30 नॉट से ज्यादा की गति हासिल करना शामिल है।

- उल्लेखनीय रूप से, इसमें 26% की उन्नत स्वदेशी सामग्री शामिल है तथा इसमें प्रमुख भारतीय मूल उपकरण निर्माताओं की 33 प्रणालियाँ शामिल हैं।
- यह कमीशनिंग भारत और रूस के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है, जोकि क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आयोजन नौसेना क्षमताओं को आगे बढ़ाने में दोनों देशों के बीच सफल सहयोग को भी उजागर करता है।
- तुषिल का जलावतरण भारत और रूस के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है, जोकि रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने में उनके पारस्परिक हितों को मजबूत करता है।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

10 December 2024

नेब्रास्का ने 6 दिसंबर को गांधी स्मृति दिवस घोषित किया

- हाल ही में ऐतिहासिक श्रद्धांजलि के रूप में, 6 दिसंबर को अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में गांधी स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया, जोकि महात्मा गांधी के अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है।

- पिलेन ने लिंकन स्थित नेब्रास्का स्टेट कैपिटल भवन में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया।
- यह आयोजन सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के क्षेत्राधिकार में आने वाले नौ राज्यों में गांधी जी की प्रतिमा की पहली स्थापना है।
- घोषणापत्र में गांधी जी को शांति और न्याय के वैश्विक प्रतीक के रूप में रेखांकित किया गया है, जिनके सत्य और मानवीय गरिमा के दर्शन ने दुनिया भर के व्यक्तियों और आंदोलनों को प्रेरित किया है। अब नेब्रास्का स्टेट कैपिटल गांधी जी की स्थायी विरासत का सम्मान कर रहा हैं।
- यह आयोजन नवंबर 2023 में सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के साथ जुड़ा हुआ है। यह वाणिज्य दूतावास वाशिंगटन, ओरेगन, इडाहो, मोंटाना, व्योमिंग, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का और अलास्का जैसे नौ राज्यों को कवर करता है और प्रशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करता है।

74 वर्षीय लेसन अल्बाट्रॉस ने चार साल बाद अंडा दिया

- हाल ही में 74 वर्षीय लेसन अल्बाट्रॉस 'विजडम' ने हवाई के मिडवे एटोल नेशनल वाइल्डलाइफ रिफ्यूज में चार साल में अपना पहला अंडा दिया है।
- विजडम का अपने घोंसले के स्थान पर वापस आना इन पक्षियों की लंबी उम्र की क्षमता को उजागर करता है, वही यह पक्षी प्रतिवर्ष इस स्थान पर अपने साथी के साथ फिर से मिलने और अंडे देने के लिए लौटती है, जोकि लेसन अल्बाट्रॉस का एक विशिष्ट व्यवहार है।

- इतने लंबे अंतराल के बाद विजडम का अंडे देना इन पक्षियों की लचीलता और दीर्घायु क्षमता को दर्शाता है तथा लेसन अल्बाट्रॉस के प्राकृतिक इतिहास और संरक्षण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- ये पक्षी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं और प्रशांत महासागर में जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लेयसन अल्बाट्रॉस के बारे में:

- 'मोली' के नाम से जाने जाने वाले लेसन अल्बाट्रॉस समुद्री पक्षी हैं जोकि सामान्य तौर पर 68 साल तक जीवित रहते हैं, हालांकि विजडम ने इस जीवन प्रत्याशा को पार कर लिया है। हर साल, लाखों अल्बाट्रॉस प्रजनन और अपने बच्चों की देखभाल के लिए मिडवे एटोल में लौटते हैं।
- उनके प्रजनन की आदतें अंडों के बीच लंबे अंतराल से चिह्नित होती हैं तथा ये पक्षी कई सालों तक एक ही घोंसले के स्थान पर लौटते हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com